प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक – 22.02.2025

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा

पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री पलाश बंसल द्वारा पुलिस कार्यालय महोबा में जनसुनवाई की गई, फरियादियों की समस्याओं को सुनकर निस्तारण के दिए निर्देश।

आज दिनांक- 22.02.2025 को पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री पलाश बंसल द्वारा जनपदवासियों को उनकी समस्याओं के निस्तारण व उनको त्वरित न्याय दिलाये जाने के उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक कार्यालय महोबा में जनसुनवाई की गयी।

पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा जनसुनवाई को अधिक प्रभावी एवं पारदर्शी बनाते हुये पीड़ितों से एक-एक करके उनकी समस्याओं को गम्भीरता पूर्वक सुना गया है। जनसुनवाई के दौरान जो भी फरियादी अपनी शिकायत/समस्याओं के समाधान की उम्मीद के साथ पुलिस अधीक्षक महोबा के समक्ष आये थे उन सभी की समस्याओं को सुनकर उनका गुणवत्तापूर्ण निस्तारण किये/कराये जाने का आश्वासन दिया गया।

पुलिस अधीक्षक द्वारा प्राप्त हुई शिकायत के गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित किये जाने हेतु सम्बन्धित को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए हैं।

“मिशन शक्ति फेज-5.0” के तहत महोबा पुलिस की मिशन शक्ति/एण्टीरोमियो टीम द्वारा जागरुकता कार्यक्रम का आयोजन कर किया गया जागरूक-

प्रदेश सरकार द्वारा महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान व स्वावलम्बन हेतु चलाये जा रहे “मिशन शक्ति फेज- 05” के दृष्टिगत पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री पलाश बंसल के निर्देशन में तथा अपर पुलिस अधीक्षक, श्रीमती वन्दना सिंह के निकट पर्यवेक्षण में आज दिनांक- 22.02.2025 महोबा पुलिस के समस्त थानों की महिला बीट अधिकारियों द्वारा अपने-अपने क्षेत्रों में चौपाल लगाकर महिलाओं/बालिकाओं को महिला सम्बन्धी साइबर अपराध के सम्बन्ध में जागरुक कर महिला एवं बच्चों से सम्बन्धित समस्याओं व घरेलू हिंसा से संरक्षण, दहेज प्रतिषेध, कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न निवारण, पाक्सो, बाल विवाह प्रतिषेध व महिलाओं की गरिमा के विरुद्ध प्रमुख अपराधों की जानकारी दी गई। महिला हिंसा से सम्बन्धित तथा अन्य शिकायतों के निवारण हेतु 1. वूमेन पावर लाइन (1090) 2. पुलिस आपातकालीन सेवा (112) 3. सीएम हेल्पलाइन नंबर (1076) 4. चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर (1098) 5. वन स्टाप सेन्टर (181) 6. साइबर हेल्पलाइन नंबर (1930) 7. स्वास्थ्य सेवा हेल्पलाइन नंबर (102) 8. एम्बुलेन्स सेवा (108) 9. जनसुनवाई पोर्टल, स्थानीय थाने की हेल्प डेस्क, जिला संरक्षण अधिकारी, राष्ट्रीय/राज्य महिला आयोग, जनपद न्यायालय में स्थित जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सम्बन्ध में एवं साइबर अपराध के बारे में जागरूक किया गया।

महोबा पुलिस

जनपदीय एसओजी एवं थाना महोबकंठ की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा लोन कर्मियों के साथ लूट की घटना को अंजाम देने वाला 25000/- रुपये का ईनामिया शातिर वांछित अभियुक्त को पुलिस मुठभेड के दौरान घायल अवस्था में गिरफ्तार किया गया है, इस दौरान अभियुक्त के कब्जे से अवैध तमंचा, जिन्दा एवं खोखा कारतूस सहित लूट की सम्पत्ति की बरामदगी की गयी है।

अभियुक्त के विरुद्ध पूर्व में कई अभियोग हैं पंजीकृत-

पुलिस अधीक्षक महोबा के निर्देशन में जनपद महोबा में चोरी/लूट की घटनाओं पर प्रभावी अंकुश लगाये जाने तथा ऐसी घटनाओं को अंजाम देने वाले शातिर अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे सघन चेकिंग/गिरफ्तारी अभियान के अनुपालन में आज दिनांक- 22.02.2025 को अपर पुलिस अधीक्षक व क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़ के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक थाना महोबकंठ के नेतृत्व में गठित हुई पुलिस टीम ने थाना महोबकंठ क्षेत्रअन्तर्गत हुई लूट के सम्बन्ध में भ्रमणशील रहते हुए सुरागरसी पतारसी में मामूर थे कि मुखबिर खास ने आकर बताया कि लोन कर्मियों के साथ दिनांक 30.01.2025 को लूट की घटना कारित करने वाला ईनामिया शातिर पुरस्कार घोषित अपराधी अवैध तमंचा से लैस होकर किसी अपराधिक घटना को अन्जाम देने की नियत से पचारा के पास छिपा हुआ है। इस सूचना पर जनपदीय एसओजी व थाना महोबकंठ की पुलिस टीम द्वारा अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु घेराबंदी की जा रही थी, इसी दौरान अभियुक्त द्वारा पुलिस को देखकर भागने का प्रयास किया गया, पुलिस टीम ने रुकने के लिए कहा तो पुलिस टीम पर फायर कर दिया, पुलिस टीम द्वारा आत्मरक्षार्थ जवाबी फायर किया गया जिससे एक गोली अभियुक्त के लगने पर वह वहीं गिर गया, पास जाकर अभियुक्त का नाम पता व जामा तलाशी ली गयी तो पाया कि एक गोली अभियुक्त के पैर में लगी है, अभियुक्त ने अपना नाम धर्मेन्द्र मुखिया पुत्र महेन्द्र पाल उम्र करीब 22 वर्ष निवासी ग्राम बेरी थाना अजनर जनपद महोबा बताया, जो थाना महोबकंठ पर पंजीकृत मु0अ0सं0 28/2025 धारा 304/317(2) बीएनएस से संबंधित 25000/- रुपये का ईनामिया वाँछित था। जिसके कब्जे से मुकदमा वादी श्री आशीष नामदेव पुत्र रतीराम नामदेव निवासी वार्ड नं0 01 ग्राम बमनौराकला थाना बमनौरकला जनपद छतरपुर(म0प्र0) के साथ दिनांक 30.01.2025 को हुई लूट की घटना मे लूटे गये 26040/- रुपये मे से शेष बचे 6000/- रुपये नगद व एक अदद तमन्चा 315 बोर अवैध व 02 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर व 01 अदद खोखा कारतूस 315 बोर बरामद हुआ। मुठभेड़ की घटना व अवैध शस्त्र कारतूस की बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय मु0अ0सं0 33/2025 धारा 109 बीएनएस व 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया है। अभियुक्त उपरोक्त को अग्रिम विधिक कार्यवाही हेतु मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जाएगा।

घायल/गिरफ्तार अभियुक्त -

धर्मेन्द्र मुखिया पुत्र महेन्द्र पाल उम्र करीब 22 वर्ष निवासी ग्राम बेरी थाना अजनर जनपद महोबा

बरामदगी-

- लूटी गयी सम्पत्ति से शेष 6000/- रुपये नगद
- 01अदद अवैध तमंचा 315 बोर
- 02 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर
- 01 अदद खोखा कारतूस 315 बोर बरामद हुआ।

अभियुक्त का आपराधिक इतिहासः-

1.मु0अ0सं0 28/25 धारा 304/317(2) बीएनएस थाना महोबकंठ महोबा
2.मु0अ0सं0 33/2025 धारा 109 बीएनएस व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना महोबकंठ महोबा
3.मु0अ0सं0 31/24 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना अजनर जनपद महोबा
4. मु0अ0सं0 224/22 धारा 323/325/504 भादवि थाना अजनर जनपद महोबा
5. मु0अ0सं0 57/22 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना कुलपहाड़ जनपद महोबा
6. मु0अ0सं0 139/21 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना अजनर जनपद महोबा
7. मु0अ0सं0 255/22 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना अजनर जनपद महोबा

जनपदीय स्वाट टीम-

1.उ0नि0 शिवप्रताप सिंह प्रभारी स्वॉट टीम
2.कां0 रंजीत कुमार
3. कां0 आशीष बघेल
4. कां0 निर्भय सिंह

गिरफ्तार करने वाली थाना महोबकंठ पुलिस टीमः-

1. उ0नि0 राजेश कुमार
2.उ0नि0 सतीश कुमार शुक्ला
3.उ0नि0 प्रशान्त दीक्षित
4. उ0नि0 देवीशंकर मिश्रा
5. कां0 विजय निरंकारी
6. कां0 उमाशंकर यादव

प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक – 22.02.2025

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा

सीसीटीएनएस की रैंकिंग में जनपद महोबा को दूसरा स्थान, मुख्यालय तकनीकी सेवाएं द्वारा पुलिस अधीक्षक व अपर पुलिस अधीक्षक महोबा को प्रशस्ति पत्र से किया गया सम्मानित-

सीसीटीएनएस योजना की प्रगति के संबंध में मुख्यालय तकनीकी सेवाएं द्वारा जनवरी 2025 के डाटा के अनुसार जनपदों की रैंकिंग की गई है। जिसमें लम्बित अभियोगों के त्वरित निस्तारण को लेकर जारी प्रदेश स्तरीय सीसीटीएन रैंकिग में जनपद महोबा पुलिस को 99.91 % अंको के साथ दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है ।

इस उपलब्धि पर श्री नवीन अरोरा, अपर पुलिस महानिदेशक, तकनीकी सेवायें मुख्यालय उ0प्र0 लखनऊ द्वारा पुलिस अधीक्षक महोबा श्री पलाश बंसल, अपर पुलिस अधीक्षक श्रीमती वन्दना सिंह को प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया है साथ ही साथ भविष्य में भी इसी प्रकार पूर्ण मनोयोग एवं प्रतिबद्धता के साथ सौपें गये दायित्वों का निर्वहन कर विभाग की प्रतिष्ठा बढाने में सहयोग किये जाने हेतु प्रशंसा की गई है।

- क्या है सीसीटीएनएस पोर्टल-

सीसीटीएनएस के माध्यम से किसी भी अपराध से जुड़ी हुई रिपोर्ट के साथ ही प्रकरण किस स्थिति में है। कितने आरोपी गिरफ्तार हुए। पुलिस मामले में कहा तक विवेचना कर रही है। इस संबंध में पुलिस कहां-कहां जांच करने गई। लगभग यह सभी जानकारियां चालान पेश होने तक की हर गतिविधि को सीसीटीएनएस साफ्टवेयर में ऑनलाइन किया जाता है।

- सीसीटीएनएस की रैंकिंग से जुडे पोर्टल-

1. CCTNS portal Ke IIF forms 2. Training certificate portal 3. Pared portal 4. Field unit portal 5. PG portal6. Foot patrolling portal 7. Crimac portal 8. ICJS portal 9. Crime analytical portal 10. NAFIS portal

इन सभी में अच्छी फीडिंग व मॉनिटरिंग के आधार पर महोबा पुलिस को द्वितीय स्थान प्राप्त हुआ।

महाकुम्भ- 2025 को सुरक्षित वातावरण में सकुशल सम्पन्न कराये जाने के दृष्टिगत पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा थाना श्रीनगर क्षेत्रअन्तर्गत अवस्थित उ.प्र.-म.प्र. सीमा (कैमाहा बार्डर) का किया गया भ्रमण, सुरक्षात्मक प्रबंधों के सम्बन्ध में दिए गए आवश्यक निर्देश...।

लोक आस्था के महापर्व महाकुम्भ- 2025 को सुरक्षित वातावरण में सकुशल सम्पन्न कराये जाने को लेकर सुरक्षा के अभूतपूर्व इंतजामों के दृष्टिगत आज दिनांकः- 22.02.2025 को पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री पलाश बंसल द्वारा जनपद महोबा के थाना श्रीनगर क्षेत्रअन्तर्गत उ.प्र. एवं म.प्र. सीमाक्षेत्र (कैमाहा बार्डर) का भ्रमण/स्थलीय निरीक्षण कर सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया तथा बिन्दुवार निर्देश दिये गये।

☞ इस दौरान प्र0नि0 थाना श्रीनगर को निर्देशित किया गया कि महाकुम्भ 2025 के दृष्टिगत सीमा पर विशेष सतर्कता बरती जाये, महाकुम्भ के दौरान बार्डर पर सीसीटीवी कैमरों की उपलब्धता के साथ क्रियाशीलता को बढाया जाये साथ ही स्थायी रुप से 24*7 घण्टे के लिए शिफ्टवार पुलिस प्रशासन की ड्यूटी लगाई जाये व चेकिंग अभियान चलाया जाये, प्रत्येक व्यक्ति एवं वाहन की चेकिंग की जाये, इस हेतु बार्डर चेक पोस्ट पर रजिस्टर बनाए जाने जिसमें प्रत्येक आने-जाने वाले का का विवरण अंकित किये जायें,

☞ मार्गों पर अनाधिकृत रूप से खड़े वाहनो ट्रक /ट्राला/ट्रैक्टर आदि तत्काल हटवाते हुए उनके चालकों/स्वामियों व वाहनो के विरुद्ध मोटर वाहन अधिनियम व अन्य सुसंगत विधिक प्रावधानों के अन्तर्गत आवश्यक विधिसम्मत कार्यवाही की जाये।

☞ अनाधिकृत रूप से खड़े वाहनों से टकराकर दुर्घटना के प्रत्येक अभियोगों में विवेचनात्मक कार्यवाही की तत्काल समीक्षा कर ली जाए। सभी प्रकरणों में कठोर व सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कराकर इस प्रकार के लापरवाह चालकों व वाहन स्वामियों के विरुद्ध सख्त वैधानिक कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

☞ स्थानीय प्रशासन, आरटीओ, परिवहन व अन्य समस्त संबंधित विभागों के साथ समन्वय स्थापित कर यातायात सुरक्षा के अंतर्गत जनपद में चल रहे समस्त वाहनो में अभियान चला कर सुरक्षा प्रबंध यथा रिफ्लेक्टर/लाइट आदि लगवाते हुए अपेक्षित कार्यवाही की जाये।

थाना कुलपहाड़ पुलिस टीम ने अवैध देशी रायफल के साथ अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

महाकुम्भः 2025 के दृष्टिगत अपराधियों के विरुद्ध प्रचलित अभियानों के तहत जनपद महोबा में पुलिस अधीक्षक महोबा के निर्देशन में अपराध की रोकथाम हेतु अवैध शस्त्र धारक अभियुक्तों की गिरफ्तारी/बरामदगी अभियान के क्रम में आज दिनांक- 22.02.2025 को अपर पुलिस अधीक्षक व क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़ के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक कुलपहाड़ के द्वारा गठित टीम के उ0नि0 दिनेश तिवारी द्वारा ग्राम सिरमौर से अमन उर्फ जगमोहन अहिरवार उम्र करीब 26 वर्ष पुत्र बहादुर निवासी ग्राम मोहारी थाना कुलपहाड़ जनपद महोबा को मय एक अदद देशी रायफल 315 बोर व एक अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर नाजायज के साथ गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियुक्त उपरोक्त अमन उर्फ जगमोहन अहिरवार के विरुद्ध मु0अ0सं0 64/2025 धारा 3/25 ए एक्ट पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुये मा0 न्यायालय के समक्ष पेशी हेतु भेजा जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः-

अमन उर्फ जगमोहन अहिरवार उम्र करीब 26 वर्ष पुत्र बहादुर निवासी ग्राम मोहारी थाना कुलपहाड़ जनपद महोबा

बरामद माल का विवरणः-

एक अदद देशी रायफल 315 बोर व एक अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरणः-

1.उ0नि0 दिनेश तिवारी

2.का0 अजय कुमार

3.का0 मनोज कुमार

थाना समाधान दिवस के अवसर पर सुनी गयी फरियादियों की समस्यायें, प्राप्त हुयी शिकायतों के गुणवत्तापूर्ण विधिक निस्तारण हेतु सम्बन्धित को दिये गये आवश्यक दिशा-निर्देश ।

आज दिनांक 22.02.2025 को पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री पलाश बंसल के निर्देशन में थाना समाधान दिवस के अवसर पर जनपद के समस्त थानों पर जनसुनवाई की गयी इस दौरान फरियादियों से उनकी समस्याओं को गम्भीरता पूर्वक सुना गया जिसके क्रम में उनकी समस्याओं के समाधान हेतु वहां मौजूद संबंधित राजस्व और पुलिस विभाग के अधिकारियों की संयुक्त टीम गठित करते हुये मौके पर जाकर शिकायतों का शत प्रतिशत गुणवत्तापूर्ण निस्तारण करने के निर्देश दिए गए।

इस अवसर पर पुलिस व राजस्व विभाग की संयुक्त टीमों को निर्देशित किया गया कि प्राप्त हुयी सभी शिकायतों का निस्तारण समयबद्ध, गुणवत्तापूर्ण तथा शिकायतकर्ता की संतुष्टि के आधार पर किया जाये, इसमें किसी भी स्तर पर लापरवाही न की जाए जिससे आमजनमानस को बिना वजह परेशान होना पड़े।

जनपदीय पुलिस व प्रशासन के राजपत्रित अधिकारियों एवं थाना प्रभारियों द्वारा अपने-अपने सर्किल / थाना पर थाना समाधान दिवस आयोजित कर जनता की समस्याओं को सुना गया तथा प्राप्त प्रार्थना पत्रों की जांच करते हुए उनके त्वरित व विधिक निस्तारण हेतु संयुक्त टीम बनाकर मौके पर जाकर शिकायतों का शत प्रतिशत निष्पक्ष निस्तारण कराने हेतु निर्देशित किया गया।